प्रेस विज्ञप्ति, जनपद जालौन
दिनांक – 20.03.2026

उ0प्र0 शासन, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा पीएसयू प्रतिष्ठानों(GAIL/NTPC)/ पेट्रोल पंप मालिकों/ गैस एजेंसी मालिकों के साथ पुलिस कार्यालय, उरई में गैस व पेट्रोल/डीजल इत्यादि के सम्बन्ध में गोष्ठी की गयी, जिसमें व्यापारी/उद्यमियों की समस्याओं को सुना गया व गैस वितरण/भण्डारण तथा सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। गैस, पेट्रोल व डीजल इत्यादि की अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक खबर न फैलाएं ।

बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं को प्रमुखता दी गयी:

1. गैस, पेट्रोल व डीजल जमाखोरी/ अत्यधिक मूल्य निर्धारण/ काला बाज़ारी के खिलाफ सख्त निर्देश दिए गए।
2. एजेंसी व पेट्रोल पंप पर कार्यरत सुरक्षा गार्ड/अनुबंधित कर्मचारियों आदि का यथाशीघ्र सत्यापन कराने हेतु निर्देश दिए गए।
3. सम्बन्धित कोतवाली/थाना पुलिस को गैस एजेंसियों, पेट्रोल पम्प व अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
4. सभी प्रतिष्ठानों में यथाशीघ्र नए सीसीटीवी स्थापित करने व पुराने सीसीटीवी की सर्विस/रिपेयरिंग कराने के निर्देश दिए गए।
5. गैस एजेंसी/पेट्रोल पंप मालिक व व्यापारियों को सुरक्षा के प्रति आश्वत किया गया।
6. किसी भी प्रतिष्ठान में भीडभाड़, शान्ति व कानून व्यवस्था या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

भविष्य में भी इसी प्रकार नियमित रूप गोष्ठी बैठकें आयोजित की जायेंगी।

जालौन पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक खबर न फैलाएं।